मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 107वीं बैठक दिनांक 19.05.2004 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः अपरान्ह 4.00 बजे।
उपस्थिति

1.	मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष		श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य		श्री सतीश कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव, कृषि
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	प्रतिनिधि	श्री सीताराम मीना सचिव, वित्त
4.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य		डा0 मनमोहन सिन्हा, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
5.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य		डा0 बी0के0 त्यागी कृषि निदेशक
6.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य	प्रतिनिधि	श्री एस0 प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार
7.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य		श्री विजय बहादुर यादव निदेशक, (कृषि विपणन)
8.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव		डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/ निर्णय
01.	मा0 परिषद की 106वीं बैठक दि0 07.02.2004 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	गत बैठकों 106वीं की अनुपालन आख्या।	106वीं0 बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
03.	वित्तीय वर्ष 2004–2005 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफारमेन्स बजट) का औचित्यपूर्ण	वित्तीय वर्ष 2004–05 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफारमेन्स बजट) का अवलोकन किया गया।

	प्रस्ताव।	
04.	वित्तीय वर्ष 2004–2005 का आय–व्ययक अनुमान (Budget Estimate) का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव।	वित्तीय वर्ष 2004–05 के परिषद निधि के आय–व्ययक अनुमानों का प्रस्ताव निम्न संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया– 1. परिषद निधि के आवर्तक व्यय को रू0 1007.37 लाख से घटाकर रू0 700.00 लाख किया गया तथा आवर्तक व्ययों के मदवार एलोकेशन के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। 2. क्रम संख्या– 17 में किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए रू0 10.00 करोड़ से बढ़ाकर रू0 20.00 करोड़ अनुमोदित किया गया। इसके लिए 200 गाँव चिन्हित कर प्रत्येक गाँव में रू0 10.00 लाख की लागत से अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। योजना को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने तथा क्रियान्वित करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। शेष बजट प्राविधान यथावत स्वीकृत किया गया। 3. लखनऊ तथा सहारनपुर स्थित मैंगो पैक हाउस के संचालन हेतु रू0 40.00 लाख का प्राविधान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जो मण्डी समितियाँ ऋण एवं अंशदान की धनराशि पूर्ण रूप से अदा नहीं कर रही हैं, उनका श्रेणीवार विश्लेषण कर लिया जाय– क) ऐसी मण्डी समितियाँ जिनका वास्तविक अधिष्ठान व्यय रू0 25.00 लाख से अधिक है जिसके फलस्वरूप वे अंशदान और ऋण की वापसी करने में असमर्थ हैं। ख) ऐसी मण्डी समितियाँ जिन्हें पूर्व वर्षो में इतना ऋण स्वीकृत कर दिया गया है जो कि अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण ऋण की वापसी करने में असमर्थ हैं। ग) ऐसी मण्डी समितियाँ जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के बावजूद ऋण और अंशदान की धनराशि लापरवाही के कारण

		अदा नहीं कर रही हैं। मण्डी परिषद द्वारा इसकी समीक्षा करने के पश्चात वर्ष 2004–05 तथा आगामी वर्षो में अवशेष धनराशियों की वसूली करने की कार्ययोजना तैयार कर प्राथमिकता पर क्रियान्वित की जाए। 4. वित्तीय वर्ष 2004–05 के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित आय–व्ययक अनुमान का प्रस्ताव रू0 416.00 करोड़ अनुमोदित किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

क0	मद	वर्ष 2004–05 का बजट प्राविधान (पूर्व का अवशेष वर्ष का प्राविधान)
1.	मण्डी स्थल के कार्य (नये मण्डी स्थल, मरम्मत एवं लघु विस्तार विद्युत कार्यो सहित)	(55.13+69.59) **124.72**
2.	सम्पर्क मार्ग (नये एवं मरम्मत कार्य)	(91.00+200.00) **291.00**
3.	ग्राम गोद/ सामुदायिक सहभागिता के आधार पर ग्राम्य विकास योजना	(0.05+0) **0.05**
4.	हाट पैठ/ किसान मण्डी	(0.23+0) **0.23**
	योग	**416.00**

		निदेशक ने अवगत कराया कि किसान मण्डी के कार्य भी मद संख्या–1 में ही सम्मिलित होंगे। निर्णय लिया गया कि वर्ष 2004–05 के लिए रू0 200.00 करोड़ सम्पर्क मार्गो के मद में अनुमोदित धनराशि में से 70 प्रतिशत नये सम्पर्क मार्गो के लिए तथा 30 प्रतिशत धनराशि पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गो के मरम्मत के लिए व्यय किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2004–05 के लिए मण्डी समितियों की सम्पूर्ण आय का अनुमान रू0 404.00 करोड़ से बढ़ाकर रू0 425.00 करोड़ संशोधित कर दिया जाय।
05.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत नियमित से भिन्न कार्मिकों के पारिश्रमिक की दरों में बृद्धि के सम्बन्ध में।	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में कार्यरत नियमित से भिन्न कार्मिकों के पारिश्रमिक की दरों में तृतीय श्रेणी एवं उसके समकक्ष को रू0 4000.00 प्रतिमाह तथा चतुर्थ श्रेणी एवं उसके समकक्ष को रू0 3500.00 प्रतिमाह दिये जाने की संस्तुति शासन को करने का निर्णय लिया गया। बढ़ा हुआ पारिश्रमिक विभिन्न न्यायालयों में चल

		रहे वादों/ याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगा एवं इसे दिये जाने से किसी कर्मचारी के वर्तमान स्टेट्स में कोई अन्तर नहीं आयेगा और चल रहे वादों/ याचिकाओं में उनके द्वारा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
06.	मण्डी सचिव/ मण्डी पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के पद हेतु मण्डी समिति सेवा विनियमावली में निर्धारित शैक्षिक योग्यता में संशोधन विषयक प्रस्ताव।	मण्डी सचिव/ मण्डी पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती के पद हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 में निम्नानुसार संशोधन शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया–

पदनाम	अनिवार्य अर्हता	अधिमानी अर्हता
सचिव, श्रेणी–3 वर्ग–3	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टर मीडिएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंक। एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए इण्टर मीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा बी0एस0सी0 (ए0जी0) में कम से कम 55 प्रतिशत अंक।	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/ कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबन्ध संस्था से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।
सचिव श्रेणी–2	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टर मीडिएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंक। एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के लिए इण्टर मीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा बी0एस0सी0 (ए0जी0) में कम से कम 55 प्रतिशत अंक।	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/ कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबन्ध संस्था से एम0बी0ए0 (एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।
मण्डी पर्यवेक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि व इण्टर मीडिएट में कम से कम 55 प्रतिशत अंक। एस0सी0/ एस0टी0/ ओ0बी0सी0 के लिए इण्टर मीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक।	–

		अभ्यर्थियों की मेरिट/ शार्ट लिस्ट बनाते समय यू0पी0 बोर्ड तथा अन्य बोर्ड के मध्य समतुल्यता स्थापित करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया

		गया।
07.	दुग्ध उत्पाद के सीधे विपणन (Direct Marketing) हेतु किसान दुग्ध उत्पाद मण्डी स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	दुग्ध उत्पाद के सीधे विपणन (Direct Marketing) हेतु किसान दुग्ध उत्पाद मण्डी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रारम्भ में पायलट बेसिस पर 08 किसान दुग्ध उत्पाद मण्डियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। योजना को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने एवं क्रियान्वित करने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
08.	मण्डी परिषद के आवासीय परिसर में अतिथि गृह की स्थापना का प्रस्ताव।	किसान मण्डी भवन के 8वें तल को शासकीय हित में उपकार को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप उक्त तल पर स्थित मण्डी परिषद के अतिथि गृह को आवासीय कालोनी के खाली पड़े ब्लाक में प्रस्तावानुसार शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। इस निमित्त आवश्यक कार्य सम्पन्न कराने एवं आवन्टन नियमावली बनाने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया।
09.	रहमान खेड़ा, लखनऊ एवं नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर स्थित मैंगो पैक हाउस के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मण्डी परिषद के लखनऊ एवं सहारनपुर स्थित मैंगो पैक हाउस के संचालन का प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त (107वीं बैठक की एजेण्डा पुस्तिका पृष्ठ संख्या–151 से 155) अनुमोदित किया गया।
10.	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
11.	विभूति खण्ड स्थित मण्डी परिषद की आवासीय कालोनी में निर्मित सामुदायिक केन्द्र के किराये निर्धारण तथा बाहरी व्यक्तियों को किराये पर न दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	स्थगित किया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	संयुक्त निदेशक (विपणन) के स्वीकृत पद को डाऊनग्रेड करके उप निदेशक (विपणन) पदनाम किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) के दो पद समाप्त करते हुए उप निदेशक (विपणन) के दो अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार मण्डी परिषद में उप निदेशक

		(विपणन) के चार पद होंगे जिनमें तीन पद पदोन्नति के माध्यम से एवं एक पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। मा0 परिषद की 91वीं बैठक दिनांक 18.01.2001 में उप निदेशक (विपणन) के पद पर प्रशासनिक अधिकारी/ विपणन अधिकारी की सेवा के कम से कम 05 वर्ष के पश्चात पदोन्नति हेतु अर्हता निर्धारित की गयी है। मण्डी परिषद की विपणन सम्बन्धी गतिविधियों की विशेषज्ञ प्रकृति के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि उप निदेशक (विपणन) के पद पर मात्र विपणन अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति की जावे। इस निमित्त ऐसे अधिकारी अर्ह होंगे जिन्होंने विपणन अधिकारी के पद पर कम से 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। यह भी निर्णय लिया गया कि संयुक्त निदेशक (विपणन) के पद को मेरिट सलेक्शन के आधार पर प्रोन्नति से भरा जाय। इस निमित्त ऐसे उप निदेशक (विपणन) पात्र होंगे जिन्होंने इस पर कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। विपणन अधिकारी के पद की अर्हताएं भी संशोधन योग्य पाई गई। सीधी भर्ती के उप निदेशक (विपणन) तथा विपणन अधिकारी हेतु अर्हताएँ निर्धारित करने तथा शासन को उपर्युक्तानुसार संगत सेवा नियमावली में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

ह0/–
(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश